UP Board Class 7 Civics Notes Chapter 2 व्यवस्थापिका-कानून बनाना

सरकार के अंग

	केन्द्र	राज्य	कार्य
व्यवस्थापिका	संसद	विधानमंडल	कानून बनाना
कार्यपालिका	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्	राज्य मंत्रिपरिषद्	कानून लागू करना
न्यायपालिका	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	कानून का पालन कराना

संसद

संसद देश के लोकतान्त्रिक व्यवस्था की सर्वोच्च विधायी निकाय प्रणाली है जो की लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों: राज्य सभा (राज्यों का सदन) और लोक सभा (लोगों का सदन) से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। संसद के माध्यम से ही देश की लोकतांत्रिक प्रणाली सुचारु रूप से कार्य करती है एवं जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाती है।

संसद भवन

लोकसभा

लोकसभा संसद का निचला सदन होता है जो की भारतीय संसद व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। लोकसभा के सांसदों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है ऐसे में लोकसभा देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का वास्तविक घटक एवं जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करता है। लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता प्रायः देश का प्रधानमन्त्री होता है एवं देश के वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।

योग्यताएं

भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। दो या अधिक वर्षों के कारावास के साथ अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

लोक सभा का कार्यकाल

यदि समय से पहले भंग ना किया जाये तो, लोक सभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले पाँच वर्ष तक होता है उसके बाद यह स्वत: भंग हो जाती है।

लोकसभा के पदाधिकारी

लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में चुनती है। कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोक सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोक सभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है।

लोक सभा के कार्य

संसद का मुख्य कार्य जनता के सामाजिक तथा भौतिक कल्याण हेतु कानूनों का निर्माण करना है।
यह संघ सूची तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
कुछ परिस्थितियों में यह राज्य सूची में आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है ।

राज्य सभा

राज्य सभा के शेष सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा दिल्ली और पुदुच्चेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूँकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है इसलिए इस प्रकार के चुनाव को 'अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं।

वही व्यक्ति राज्य सभा का सदस्य हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएँ वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। परन्तु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।

सदस्यों का कार्यकाल

राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्य सभा कभी भंग नहीं होती है। इसीलिए इसे स्थाई सदन' कहा जाता है।

राज्य सभा के पदाधिकारी

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्य सभा की कार्यवाही का संचालन करता है जब सभापति उपस्थित नहीं रहता तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है।

राज्य सभा का अधिवेशन

इसका वर्ष में दो बार अधिवेशन होना आवश्यक है। दो अधिवेशनों के बीच छः माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

https://www.evidyarthi.in/

राज्य सभा का कार्य

लोक सभा की तरह राज्य सभा भी कानून बनाने एवं संशोधन का कार्य करती है। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव (विधेयक) स्वीकार कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है।

राज्य सभा भी लोक सभा की भांति मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। विशेष बात यह है कि धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्य सभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है।

कानून निर्माण की प्रक्रिया

संसद का सबसे महत्त्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना। और कानून बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक (Bill) कहते हैं। ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं- साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। कानून बनने की संक्षिप्त प्रक्रिया इस प्रकार है।

साधारण विधेयक

साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। साधारण विधेयक तीन चरणों में पारित होता है जिसे तीन बाचन कहते हैं।

प्रथम वाचन

इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

द्वितीय वाचन

इसमें विधेयक पर विचार-विमर्श होता है। विधेयक के समस्त बिन्दुओं पर चर्चा होती है। इसी समय विधेयक में आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं और द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है।

तृतीय वचन

द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई भी महत्त्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है।

यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन कर देता है, तो विधेयक पारित हो जाता है। यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह काननू बन जाता है।

कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु

साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है राज्यसभा या लोकसभा में।
आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी है।
आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता है, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा।
यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से नहीं पारित होता है तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है परन्तु वही विधेयक लोकसभा द्वारा दुबारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे।

https://www.evidyarthi.in/